न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 20/14/दावा/

1. लाडकंवर पत्नि नारायणसिंह
2. हवाकंवर पत्नि मोहब्बतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीयागण

ब ना म

1. मंजूदेवी पत्नि सागरमल
2. रामेश्वरी देवी पत्नि दल्लाराम
3. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह
4. मोहब्बत सिंह पुत्र कल्याण सिंह (मृतक)
   - 4/1. उच्छब कंवर पत्नि मोहब्बत सिंह
   - 4/2. महेन्द्र सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह
   - 4/3. राजकंवर }
   - 4/4. सदाकंवर } पुत्रियां मोहब्बत सिंह
5. भंवर कंवर बेवा भगवान सिंह
6. दिलीप सिंह पुत्र भगवान सिंह
7. देवी सिंह पुत्र भगवान सिंह
8. हरि सिंह पुत्र फतेह सिंह (मृतक)
   - 8/1. पुष्पा कंवर पत्नि हरि सिंह
   - 8/2. दशरथ सिंह पुत्र स्व0 हरि सिंह
9. समंदर कंवर बेवा फतेह सिंह
10. नारायण सिंह पुत्र फतेह सिंह

    समस्त जाति राजपूत निवासीगण भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
11. महेन्द्र कुमार पुत्र लच्छाराम
12. भींवाराम पुत्र लच्छाराम

    जाति जाट निवासीगण भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
13. मालीराम पुत्र श्री बालूराम जाति दरोगा निवासी गोपीनाथपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
14. पटवारी, पटवार हल्का मेई तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
15. उप–पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर।
16. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
17. एस0बी0बी0जे0 शाखा दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति:

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादीयागण की ओर सें।

दिनांक–10.10.2019

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 1.75 है0, ख0नं0 166 रकब 0.01 है0 किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर वाके ग्राम भोरडों का बास पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादीया संख्या 1 का हिस्सा 1/20 तथा वादीया संख्या 2 का हिस्सा 1/10 है एवं अपने हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा हो रखा है। मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीयागण अपने हक हिस्से पर निर्विवाद रूप सें काबिज काश्त है। वादीयागण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चा लगाकर अत्यधिक मात्रा में खाद आदि डालकर उपजाउ योग्य बनाया है जिसकी वजह सें अन्य प्रतिवादीगणों के मन में बेईमानी आ गई है एवं वे बिना बंटवारा करवाये ही शामलाती कृषि भूमियों को अन्यत्र दीगर व्यक्तियों को रहन, बेचान, अदि करने पर आमादा है इसलिए वादी द्वारा वाद पेश करना लाजिम हुआ है। वादकारण दिनांक 27.01.2014 के प्रतिवादीगण द्वारा शामलाती भूमि का बंटवारा करवाने सें मना करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण जारी है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि उक्त विवादित भूमियों का विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर अलग लगान निर्धारित किया जावे तथा अलग ख0नं0 निर्धारित किये जावे और प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 8 के कायम मुकाम आवेदन बादसुनवाई स्वीकार किये गये। सभी प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीयागण अधिवक्ता द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने पर सहमति जाहिर की गई।

3. हमने वादी योग्य वादीयागण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादवर्णित भूमियों का वकील वादियागण ने मौके व रिकॉर्ड अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत बंटवारा किये जाने का बहस के दौरान निवेदन किया गया। विवादित आराजियात वादीयागण एवं प्रतिवादीगणकी संयुक्त खातेदारी की भूमियां है तथा वादीयागण अपने हिस्से का मौके व रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा करवाना चाहता है अतः वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिकी किया जाता है कि ग्राम भोरड़ों का बास पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 1.75 है0, ख0नं0 166 रकब 0.01 है0 किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर का मौके व रिकॉर्ड के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवारा किया जाने हेतु तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

दांतारामगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिकी निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है–

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 28.11.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें

उपरोक्त प्राथमिक डिकी जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 28.11.2019 को पेश हो।

यह आदेश आज दिंनाक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 20/14/दावा/

1. लाडकंवर पत्नि नारायणसिंह
2. हवाकंवर पत्नि मोहब्बतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जि0 सीकर।

– वादीयागण

ब ना म

1. मंजूदेवी पत्नि सागरमल
2. रामेश्वरी देवी पत्नि दल्लाराम

जाति जाट निवासी भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह
4. मोहब्बत सिंह पुत्र कल्याण सिंह (मृतक)
   4/1. उच्छब कंवर पत्नि मोहब्बत सिंह
   4/2. महेन्द्र सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह
   4/3. राजकंवर } पुत्रियां मोहब्बत सिंह
   4/4. सदाकंवर } पुत्रियां मोहब्बत सिंह
5. भंवर कंवर बेवा भगवान सिंह
6. दिलीप सिंह पुत्र भगवान सिंह
7. देवी सिंह पुत्र भगवान सिंह
8. हरि सिंह पुत्र फतेह सिंह (मृतक)
   8/1. पुष्पा कंवर पत्नि हरि सिंह
   8/2. दशरथ सिंह पुत्र स्व0 हरि सिंह
9. समंदर कंवर बेवा फतेह सिंह
10. नारायण सिंह पुत्र फतेह सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

11. महेन्द्र कुमार पुत्र लच्छाराम
12. भींवाराम पुत्र लच्छाराम

जाति जाट निवासीगण भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

13. मालीराम पुत्र श्री बालूराम जाति दरोगा निवासी गोपीनाथपुरा तह0 दांतारामगढ
14. पटवारी, पटवार हल्का मेई तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।
15. उप–पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

16. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

17. एस0बी0बी0जे0 शाखा दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादीयागण की ओर सें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी , मुकाम दांतारामगढ

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

लाडकंवर आदि बनाम मंजूदेवी आदि

दावा बाबत, बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 10.10.2019

मुकदमा नं0 20/दावा सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **आनन्द राड़** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 1.75 है0, ख0नं0 166 रकब 0.01 है0 किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर का मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमीश्नर नियूक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिकी निम्नांकित शर्तो पर जारी की जाती है :–

1. **यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।**
2. **पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।**
3. **यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 28.11.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें**

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.10.2019 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	–	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	0	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner